



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 680220

(प्रारूप-'ब')

शपथ पत्र

हम ..... सान्तोष कुमार ..... एवं ..... डॉ लक्ष्मी सिंह ..... क्रमशः अध्यक्ष एवं  
सचिव ..... राजगढ़ लेकड़ दलखाना ..... शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं:-  
परी उत्तरपंजाब

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा राम लाल सिंह कॉम्प्लेज ऑफ कार्मेंसी विष्णुपुर और ऐश्वर्य पांडा उत्तरपंजाब के नामक विष्णुपुर वाली गांव में गाठा संख्या 165 एवं 166... रकबा क्रमशः 9.48 एवं 0.19 रुपये (कुल रकबा) 9.67 रुपये है केटेयर भूमि है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम राम लाल सिंह कॉम्प्लेज ऑफ कार्मेंसी विष्णुपुर और ऐश्वर्य पांडा उत्तरपंजाब के नामक विष्णुपुर वाली गांव में गाठा संख्या 165 एवं 166... रकबा क्रमशः 9.48 एवं 0.19 रुपये (कुल रकबा) 9.67 रुपये है केटेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 165 एवं 166... रकबा क्रमशः 9.67 रुपये, एवं 0.19 रुपये (कुल रकबा 9.85 रुपये) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेंसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04/07/2023 द्वारा पारित किया गया है।



5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत दिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित शो के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के उप पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुमित्रित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 13 में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से साथ है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा चुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निश्चानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव  
दिल्ली



ह० अध्यक्ष  
गोपनीय